Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences
(State University, Government of M.P.)
Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) – 453441, Indore (M.P.), India
Phone : (07324) 274377, Fax : (07324) 272350
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय
(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

क्रमांकः ब्राउस / स्था / न.क.678 / 2022 / 769 दिनांक : 27/07/2022

विश्वविद्यालय में कृषि परामर्शी द्वितीय श्रेणी नियुक्ति हेतु सेवाशर्ते एवं योग्यता (वेबसाईट हेतु)

विश्वविद्यालय में कृषि विभाग में स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षण, शोध एवं अकादमिक कार्य हेतु द्वितीय श्रेणी परामर्शी की आवश्यकता हैं। विश्वविद्यालय के कार्य हेतु परामर्शी एक वर्ष के लिए पूर्णतः अस्थायी, गैर सरकारी तथा पूर्णकालिक पद हेतु द्वितीय श्रेणी के सेवानिवृत प्राध्यापक / अधिकारी जिन्हे कृषि विभाग / विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान में पढ़ाने का अनुभव हो, इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक **08 अगस्त 2022 को सांय 5.30 बजे तक, कुलसचिव डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) म.प्र. 453441** के नाम **स्पीड पोस्ट / व्यक्तिगत** के माध्यम से विश्वविद्यायल में भेज सकते है। परामर्शी का मानदेय एवं सेवाशर्ते म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–11–10 / 2012 / नियम / चार दिनांक 06.10.2012 के अनुसार देय होगा।

परामर्शी पद एवं योग्यता निम्नानुसार है :–

1. **पद** – कृषि परामर्शी द्वितीय श्रेणी एक पद
2. **परामर्शी के कार्य** – विश्वविद्यालय के कृषि अध्ययनशाला में प्रशासनिक, अकादमिक, शोध एवं शिक्षण हेतु परामर्श देना एवं आवश्यक कार्यवाही करना।
3. **योग्यता** – म.प्र. के शासकीय विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से प्रथम या द्वितीय श्रेणी प्राध्यापक / अधिकारी पद से सेवानिवृत व्यक्ति जो कृषि सें संबंधित विषयों में अध्यापक / सह अध्यापक / सहायक अध्यापक रहे हों तथा कार्य का अनुभव हो। (अनुभव संबंधित दसतावेज संलग्न करना अवाश्यक हैं।)

परामर्शी पद हेतु आवश्यक जानकारी –

1. यह पद पूर्णतः अस्थायी गैर सरकारी तथा पूर्ण कालिक हेतु रहेंगें।
2. मानदेय म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 06.10.2012 के अनुसार देय होगा।
3. मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता देय नही होगा। साथ ही शासकीय अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश की पात्रता नही होगीं।
4. आवेदन स्पीड पोस्ट / व्यक्तिग के माध्यम से निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय में प्राप्त किय जाऐगें। अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं किय जा सकेंगें। आवेदन बन्द लिफाफे में एवं लिफाफे के ऊपर परामर्शी आवेदन एवं श्रेणी का उल्लेख करना होगा।
5. आवेदन के साथ समस्त सलंग्न दस्तावेजों पर स्वंय द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
6. शासकीय सेवा से सेवानिवृत अधिकारी / प्राध्यपक / अध्यापक / सह अध्यापक / सहायक अध्यापक के आवेदन मान्य किये जायेंगें।

(कुलपति महोदय से अनुमोदित)

कुलसचिव